

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 18/2019 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
ग्राम पंचायत खिवान्दी जरिये सरपंच रूपाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति देवासी निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली		मगराम पुत्र उमाजी जाति भाम्बी निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना व श्री नौरतन चौहान उपस्थित

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज श्रीनाथ उपस्थित

--: निर्णय ::--

दिनांक :- 08.07.2019

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत खिवान्दी की मिसल संख्या 71/1985-86 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.08.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 30.08.1986 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत खिवान्दी का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खिवान्दी द्वारा जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत की आवासीय भूमि में जारी नहीं कर गैर मुमकिन सिवायचक खसरा नम्बर 827/3 एवं 827/4 किस्म बारानी सोयम में जारी किए गए हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 563 मी. एवं 570 मी. थे, जिनकी मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति इस पत्रावली के संलग्न हैं। उससे स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जरिए आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक 01.06.2017 से उक्त मूल खसरा नम्बर 827 के रकबा 14.2700 हैक्टेयर में से रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि खारिज कर सेट अपार्ट करते हुए ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम आबादी विस्तार हेतु भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1995 दिनांक 06.07.2017 स्वीकृत होकर नए खसरा नम्बर 827/3 रकबा 2.00 है। ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम किस्म गै.मु. आबादी दर्ज कर की गई तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने ही जरिए आदेश क्रमांक राजस्व/2018/406 दिनांक 13.07.2018 के मूल खसरा नम्बर 827 के शेष रहे रकबा 12.2700 है. में से 4.00 है. बारानी सोयम भूमि का किस्म


जिला कलेक्टर, पाली



बारानी खारिज कर सेट अपार्ट करते हुए, ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम आबादी विस्तार हेतु भूमि निःशुल्क आरक्षित की जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 2088 दिनांक 27.07.2018 स्वीकृत कर नये खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.00 है. की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम अमल दरामद की गई। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में आबादी दर्ज सन् 2017 व 2018 में उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में की गई। इससे पूर्व ही जैर निगरानी मिसल संख्या 71/1985-86 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.08.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 30.08.1986 को जारी कर दिया, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा नजूल आबादी भूमि में जारी नहीं कर कृषि भूमि में जारी कर दिया, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत खिवान्दी को कतई नहीं था, इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा विधी सम्मत जारी नहीं किए जाने से खारिज फरमाया जावें। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खिवान्दी द्वारा उक्त खसरे में ही कुल 17 पत्रावलियां निगरानी की प्रस्तुत की जिसमें प्रेषित मिसलों में से कई में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया। एक माह का आपत्ति इस्तिहार किस दिनांक को किस नम्बर से जारी किया, उसका अंकन नहीं है तथा न ही चस्पा किए जाने के स्थान का अंकन है। आपत्ति इस्तिहार किस दिनांक को चस्पा किया गया, यह भी उल्लेखित नहीं है। भूमि को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बी.पी.एल. आवासहीन व अनु. जाति जनजाति के व्यक्तियों को 30 प्रतिशत भूमि के निःशुल्क आवासीय पट्टे एवं 70 प्रतिशत पट्टा भूमि भूमिहीन काशतकारों शिल्पकारों व अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दर पर पट्टा देने के उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित निर्देशों की पालना नहीं की गई है। भूमि का प्लान बनाकर एक प्रक्रिया निर्धारित कर पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा निरस्त करवाकर प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने हेतु सहमत है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा निगरानी में उल्लेखित दोनों आदेशों के द्वारा आबादी हेतु जो 6 बीघा भूमि सेट अपार्ट कर आरक्षित की गई हैं। उसका प्लान बनाकर तथा आदेश में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए एक प्रक्रिया का निर्धारण कर तदनरूप विक्रय विलेख पुनः जारी किए जाने बाबत आदेश पारित कराने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा 1986 में जारी कर दिया गया था, जो पूर्व खसरा नम्बर 573 मी. एवं 570 मी. की आराजी में जारी किए गए हैं। जिसका मिलान खसरा अनुसार नए खसरा नम्बर 827 है तथा खसरा नम्बर 827 की भूमि को

जिला कलेक्टर, पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जरिए आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक 01.06.2017 एवं 406 दिनांक 13.07.2018 के जरिए क्रमशः 2 हैक्टेयर एवं 4 हैक्टेयर सरकारी सिवाय चक बारानी प्रथम भूमि से सेट अपार्ट कर आबादी हेतु आरक्षित की गई थी। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जैर निगरानी आराजी 2017 से पूर्व तक सिवाय चक बारानी प्रथम सरकारी भूमि दर्ज थी तथा ग्राम पंचायत को नजूल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कराने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, वह स्पष्टतया कृषि भूमि में ही जारी किया गया है। जिसे यथावत रखा जाना विधी सम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने ग्राम पंचायत खिवान्दी को 30 प्रतिशत भूमि के निःशुल्क बी.पी.एल., आवासहीन व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे जारी करने एवं 70 प्रतिशत पट्टे भूमिहीन काश्तकारों, शिल्पकारों व अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दर पर आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किए जाने के आदेश दिए गए, उनकी भी पालना नहीं की गई है, न ही पंचायत नियमों के अनुरूप विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। आपत्ति इस्तिहार पर जारी करने की दिनांक, क्रमांक तथा चस्पा किए जाने का स्थान व दिनांक अंकित नहीं है, न ही दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं, न ही नक्शा बनया गया, यहां तक कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेशानुसार जो 6 है. भूमि दोनों आदेशों के जरिए आबादी हेतु सेट अपार्ट की गई, उसका नक्शा प्लान भी नहीं बनाया गया तथा अपनी मनमर्जी से 15 x 30 कुल 450 वर्गफीट के पट्टे जारी कर दिए, जिन्हें यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी उभयपक्ष की सहमति से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर निगरानी मिसल संख्या 71/1985-86 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.08.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 30.08.1986 को निरस्त किया जाकर इस आशय से ग्राम पंचायत खिवान्दी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक 01.06.2017 एवं 406 दिनांक 13.07.2018 के सेट अपार्ट कर आबादी हेतु कुल 6 है. आरक्षित आराजी खसरा नम्बर 827/3 एवं 827/4 का एक प्लान बनाकर आंवटन आदेश में विर्णित निर्देशों की पालना करते हुए तथा पंचायत नियमों के तहत विहित प्रक्रिया की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जावें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत खिवान्दी को रेकर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली